

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	राजस्व विभाग
तारांकित प्रश्न संख्या	:	4877
उत्तर की तिथि	:	07.03.2022
विषय	:	प्राचीन मन्दिर
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री अनिरुद्ध सिंह (कसुम्पटी)
सम्बन्धित मंत्री	:	जलशक्ति व राजस्व मंत्री

प्रश्न	उत्तर
क्या जल शक्ति मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार शिमला ग्रामीण तहसील के परगना कैमली के देवताओं के प्राचीन मन्दिरों को हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिनियम, 1953 की धारा 37 के अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो कारण?	मामला विचाराधीन है।